न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 11/14 तारीख रजू 03/06/14

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. कमलेश कुमार गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक मैसर्स गर्ग किराना स्टोर निवासी 56 एम0पी0 कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर राजस्थान।

2. प्रेमचन्द्र जैन पुत्र चम्पालाल जैन मालिक मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राईजेज 21, रिद्धि सिद्धि एनक्लेव एक्सोटिका बूदी रोड कोटा 324008 राजस्थान। – अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 15.6.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बद्री नारायण शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 16/05/2013 को 05:00 पी.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स गर्ग किराना स्टोर निवासी 56 एम0पी0 कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर राजस्थान पर पहुँचा वहां पर कमलेश कुमार गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं पूछने पर श्री कमलेश कुमार गर्ग ने स्वयं को मैसर्स गर्ग किराना स्टोर का खाद्य कारोबार कर्त्ता व मालिक होना बताया । विक्रेता से परिचय लिया तथा तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया परिसर में खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु चाय, चिनी, मसाले, दाले , वनस्पति मंथन मिल्क किम पूजा के लिए एवं तेल इत्यादि का बेचान किया जाता है। आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निरीक्षण के समय 500–500 ग्राम प्लास्टिक जार वनस्पति मंथन पूजा के लिए 5 कार्टून (प्रति कार्टून 16 नग) फर्श पर रखे हुए थे में मिलावट का शक होने पर खाद्य कारोबार कर्त्ता श्री कमलेश कुमार गर्ग को गवाहान की उपस्थिती में सूचित करते हुए कि मै आपके द्वारा आम जनता विक्रय किये जाने वाले वनस्पति मंथन पूजा के लिए का नमूना लेकर जांच करवाना चाहता हूँ। गवाहान की उपस्थिती में खाद्य कारोबार कर्त्ता श्री कमलेश कुमार गर्ग से 4 प्लास्टिक जार प्रति 500 ग्राम वनस्पति मंथन पूजा के लिए 1 कार्टून को खुलवाकर नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी किमत के रूपये 189.00 नगक देकर रसीद प्राप्त की तथा खाद्य करोबार कर्त्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।आवेदक ने मौके पर फार्म नं0 6 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर खाद्य करोबार कर्त्ता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां। जिसे खाद्य करोबार कर्त्ता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/कोटा/2013/181 दिनांक 31/05/2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति मंथन मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ वनस्पति मंथन मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड का विक्रय कर के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लघंन किया हैं जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित किया गया है।

उक्त प्रकरण में विक्रेता द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ वनस्पति मंथन का विक्रय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है ।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व वकील अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ वनस्पति मंथन का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त वकील सं0 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अभियुक्त सं0 1 निर्माता नहीं है। उसके द्वारा खाघ पदार्थ वनस्पति मंथन का पैक ही बेचान किया जाता है। अतः हमारा कोई दायित्व नहीं है तथा अभियुक्त वकील सं0 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त खाघ पदार्थ खाघ विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट एफएसएसएल/कोटा/2013/181 दिनांक 31/05/2013 के अनुसार सबस्टेण्डर्ड तथा मिसब्राण्ड होना पाया गया तथा उक्त खाघ पदार्थ के रेफर पर यूज फोर पूजन लिखा हुआ था यानि उक्त नमूना लिया गया वनस्पति केवल हवन पूजन के उपयोग किये जाने योग्य था, जिसका आवेदन द्वारा नमूना लेकर गलत कार्यवाही की गई है। आवेदक द्वारा दौराने जांच दो स्वतन्त्र गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये ना हि उक्त संबंध में कोई कारण बताया है। एक्ट के तहत केवल खाने वाली वस्तुओं का ही नमूना लिया जा सकता है अन्य खाघ पदार्थ का नही तथा वकील अभियुक्त ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उक्त जुर्म अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व 2011 की जानकारी न होने के कारण हुई है तथा न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाघ विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/कोटा/2013/181 दिनांक 31/05/2013 के अनुसार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया है, साथ ही अभियुक्त ने दौराने बहस न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ वनस्पति मंथन का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त सं0 1 लगायत 2 को संयुक्त रूप से 5,000 रूपये (पांच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.6.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर